भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नी संख्या 1332

जिसका उत्तिर 03 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

एआईबीपी के अंतर्गत सहायता

1332. श्रीमती संतोष अहलावत:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री गणेश सिंह:

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और वितरण के माध्यम सहित वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्धरित मानदंड क्या हैं;

(ख) चल रही सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और एआईबीपी के अंतर्गत शामिल परियोजनाएं कौन सी हैं तथा गत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित/जारी/प्रयोग की गई राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि एआईबीपी के अंतर्गत संभावना के अनुसार निर्मित क्षमता और वास्तविक उपयोग के बीच भारी अंतर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अंतर को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने कुछ राज्यों से एआईबीपी के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त किए हैं और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और पूरा करने हेतु एक चरणबद्ध तरीके से क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यएमंत्री (प्रो. सांवर लाल जाट)

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की शर्तों और संवितरण की पद्धति सहित केन्द्रीय सहायता देने के लिए मानदंड **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(ख) एआईबीपी के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की स्थिति **अनुलग्नक-II** में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ग) हाल ही में 42 पूरी की गई एआईबीपी परियोजनाओं के लिए सिंचाई क्षमता के उपयोग का आकलन किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता तथा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक है। सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए भारत सरकार चालू परियोजनाओं को पूरा करने और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उनका कमान क्षेत्र विकास सुनिश्चित करने को उच्चतम प्राथमिकता देती है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों ने एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। एआईबीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र परियोजना प्रस्तावों को केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

भारत सरकार ने विभिन्न बाधाओं को दूर करके परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एआईबीपी के अंतर्गत 46 चालू परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

<u>लोक सभा में दिनांक 03.03.2016 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक</u>

सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता के लिए एआईबीपी के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैः

बृहत/मध्यम परियोजनाओं के लिएः

1) परियोजना को निवेश स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए,

2) परियोजना निर्माण के आगे के चरण में होनी चाहिए और अगले 4 वित्तीय वर्षों में पूरी की जा सके और

3) एआईबीपी के लिए प्रस्तावित परियोजना अथवा परियोजना के किसी घटक को किसी भी रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त न हो रही हो

4) एआईबीपी के अंतर्गत एक चालू परियोजना के पूरा होने पर एक दर एक आधार पर एआईबीपी में कोई चालू बृहत/मध्यम परियोजना शामिल की जा सकती है।

5) निम्नलिखित श्रेणी की परियोजनाओं को उपर्युक्त एक दर एक मानदंड में छूट देते हुए एआईबीपी में शामिल किया जा सकता हैः

i. सूखा प्रवण क्षेत्र/मरूस्थल प्रवण क्षेत्र/जनजातीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं
ii. राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई विकास वाले राज्यों की परियोजनाएं
iii. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चिह्नित जिलों की परियोजनाएं।

तथापि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चालू एआईबीपी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है।

<u>वित्तपोषण की शर्तें</u>

परियोजना को वित्तपोषण के वर्ष के लिए वैध सभी सांविधिक स्वीकृतियां तथा निवेश स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय अनुदान के रूप में होती है और बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निम्नलिखित के लिए पात्र होती हैः

i. गैर विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में चालू और नई एमएमआई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत (कार्य घटक) के 25 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता
ii. हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में चालू और नई एमएमआई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत (कार्य घटक) के 90 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता
iii. गैर विशेष श्रेणी राज्यों के विशेष क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली पात्र चालू और नई एमएमआई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत (कार्य घटक) के 60 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता

iv. पहले से एआईबीपी के अंतर्गत शामिल और मरूस्थल विकास कार्यक्रम/मरूस्थल को लाभ पहुंचाने वाली चालू और नई एमएमआई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत (कार्य घटक) के 25 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता

v. गैर विशेष श्रेणी राज्यों के सूखा प्रवण क्षेत्र, मरूस्थल प्रवण क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र और बाढ़ प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली पात्र चालू और नई सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत (कार्य घटक) के 60 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता

vi. हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की पात्र चालू और नई सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत (कार्य घटक) के 90 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता।

<u>एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति अनुदान दो किस्तों में जारी किया जाता हैः</u>

क. 25 प्रतिशत से कम केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के लिए-कम से कम राज्य के हिस्से का 50 प्रतिशत जारी करने के बाद 90 प्रतिशत (प्रथम किस्त के रूप में)। और शेष 10 प्रतिशत (दूसरी किस्त) पूर्व में जारी की गई केन्द्रीय सहायता के कम से कम 50 प्रतिशत का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद और

ख. 50 प्रतिशत से अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के लिए- राज्य द्वारा अपना पूरा हिस्सा जारी किए जाने के बाद 50 प्रतिशत (प्रथम किस्त) और 50 प्रतिशत (दूसरी किस्त) ऊपर (क) के अनुसार।

<u>मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए किए गए प्रयासः</u>

क. परियोजना को शामिल करते समय लागत निर्धारण

i. चालू परियोजनाओं के संबंध में 12वीं योजना में एआईबीपी के अंतर्गत शामिल करने के लिए अनुमोदित परियोजना की शेष लागत और संगत केन्द्रीय हिस्सा 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। नई परियोजनाओं के संबंध में लागत शामिल किए जाने की तिथि के अनुसार तय की जाएगी।

ii. तय की गई लागत के आधार पर केन्द्रीय हिस्सा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि राज्य द्वारा समझौता ज्ञापन की सभी अन्य शर्तें पूरी की जाएं तथा 12वीं योजना के स्कीम दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

ख. अधिकतम 20 प्रतिशत तक लागत वृद्धि

i. जो परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं और समय सीमा के अनुसार प्रचालित नहीं हो रही हैं उनके लिए मूल रूप से तय लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इसका औचित्य दिया जाए।

ग. अधिकतम 20 प्रतिशत तक लागत वृद्धि

(i) साथ-साथ कार्यान्वयन के मुद्दे पर यह कहना तर्क संगत होगा कि सीएडीडब्ल्यूएम का लक्ष्य परियोजना पूरी करने के लिए एक निर्धारित अवधि के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम एआईबीपी के अंतर्गत आगे जारी की जाने वाली राशि को सीएडी के पूर्व के ट्रांच से जोड़ सकते हैं- यदि पहले ट्रांच के संबंध में सीएडी प्रदर्शित किया जाता है तो हम तीसरा ट्रांच जारी कर सकते हैं और इसी प्रकार आगे के ट्रांच जारी किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सृजित सिंचाई क्षमता का एआईबीपी कार्य पूरे होने की तारीख से 2 वर्ष के अंदर उपयोग किया जाना अनिवार्य किया होगा। दो वर्ष की सीमा को बड़ी परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय परियोजनाओं के मामले में 2 लाख हेक्टेयर अथवा अधिक के कमान क्षेत्र वाली सरदार सरोवर परियोजना के लिए केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिश पर बढ़ाया जा सकता है।

अनुलग्नक -II

लोक सभा में दिनांक 03.03.2016 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के लिए चालू सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम /ईआरएम	जारी केन्द्रीय ऋण सहायता			एआईबीपी घटको पर व्यय		
			2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
	आंध्र प्रदेश							
1	येरोकलावा जलाशय	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	तादीपुरी एलआईएस	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00
3	पुष्कराजलाशय	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	1.40
4	गुंडलाकडम्मा	बृहत	0.00	0.00	0.00	5.87	0.51	0.15
5	थोटापल्लीबैराज	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	58.66	0.00
6	ताराकरमा तीर्थ सागरम	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30	20.63
7	मुसुरूमिल्ली	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	8.26
8	इंदिरा सागर (पोलावरम)	बृहत	0.00	0.00	0.00	45.79	180.47	172.47
	कुल		0.00	0.00	0.00	51.66	287.87	202.91
	असम							
9	धनसिरी	बृहत	0.00	0.00	31.15	0.00	0.00	51.59
10	चंपामती	बृहत	0.00	0.00	58.07	45.00	0.00	6.45
11	बोरोलिया	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	बूढी दिहिंग लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		0.00	0.00	89.22	45.00	0.00	58.04
	बिहार							
13	पश्चिमी कोसी	बृहत	0.00	0.00	0.00	54.22	0.00	0.00
14	दुर्गावती	बृहत	0.00	0.00	0.00	58.36	38.19	0.00
	बाणसागर	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	बताने	मध्यम	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
16	पुनपुन	बृहत	0.00	0.00	0.00	66.49	1.94	0.00
	कुल		0.00	0.00	0.00	184.07	40.12	0.00
	छत्तीसगढ							
17	केलो परियोजना	बृहत	0.00	13.61	0.00	73.39	59.45	0.00
18	खारुंग	बृहत/ईआरए	3.38	2.60	0.00	11.33	0.00	0.00
19	सुतियापट	मध्यम	12.15	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00
20	मणियारी टैंक (ईआरएम)	बृहत/ईआरए	0.00	21.33	0.00	24.02	0.00	50.01
	कुल		15.53	37.53	0.00	130.51	59.45	50.01
	गोवा							
21	तिल्लारी	बृहत	8.00	0.00	0.00	48.94	24.79	0.00
	कुल		8.00	0.00	0.00	48.94	24.79	0.00
	गुजरात							
22	सरदार सरोवर	बृहत	1285.93	607.57	1033.94	2251.50	2216.96	2401.30
	कुल		1285.93	607.57	1033.94	2251.50	2216.96	2401.30

	हिमाचल प्रदेश							
23	शाह नहर सिंचाई परियोजना	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
24	सिधाता	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
25	बल्ह घाटी (बांया बैंक)	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
	जम्मू एवं कश्मीर							
26	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएए	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00
27	नयी प्रताप नहर का आधुनिकीकरण*	बृहत/ईआरएए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	राजपोरा लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	13.30
29	त्राल लिफ्ट	मध्यम	0.00	0.00	14.21	9.54	0.00	0.00
30	दादी नहर का आधुनिकीकरण	मध्यम/ईआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	कांडी नहर का आधुनिकीकरण	मध्यम/ईआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	प्राक्षिक खोस नहर	मध्यम	0.00	7.20	0.00	1.43	0.00	7.95
33	अहजी नहर का आधुनिकीकरण	मध्यम/ईआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	मुख्य रावी नहर की बहाली एवं आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरएम	12.71	6.65	0.00	14.29	0.00	0.00
	कुल		12.71	13.85	14.21	33.20	0.00	21.25
	झारखंड							
35	गुमानी	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	सोनुआ	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	सुरंगी	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	ऊपरी शंख	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	पंचखेरो	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	सुबर्णरेखा बहुउदबहुउद्देशीय	बृहत	515.72	0.00	0.00	345.80	446.26	649.39
	कुल		515.72	0.00	0.00	345.80	446.26	649.39
	कर्नाटक							
41	ऊपरी कृष्णाचरण.I	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	मलप्रभा	बृहत	98.29	0.00	0.00	80.35	95.76	0.00
43	करंजा	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	182.42
44	ऊपरी कृष्णाचरण-II	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	वराही	बृहत	11.59	19.51	0.00	66.59	75.15	0.00
46	दुधगंगा	बृहत	0.00	0.00	0.00	9.22	8.59	0.00
47	भद्रा जलाशय नहर प्रणाली का	बृहत/ईआरए	2.89	0.00	0.00	30.08	16.52	0.00
48	हिप्पारगीएलआईएस	बृहत	94.59	16.93	0.00	200.47	29.86	0.00
49	भीमसमुद्र टैंक की बहाली	मध्यम/ईआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	भीमा एलआईएस	बृहत	0.00	141.57	0.00	65.88	63.28	42.72
51	गुड्डाटा मालापुरा लिफ्ट	मध्यम	0.00	22.11	0.00	5.88	13.21	0.00
52	ऊपरी तुंगा सिंचाई परियोजना	बृहत	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
53	एसटीआई रामेश्वरसिंचाई	बृहत	0.00	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
54	एनएलबीसी प्रणाली परियोजना (नई	बृहत	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		207.36	200.12	150.82	458.47	306.78	225.14

	केरल							
55	मुवाट्टुपुझा	बृहत	0.00	0.00	0.00	14.67	7.68	2.93
56	कारापुझा	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
57	कन्हिरापुझा	मध्यम/ईआ	0.00	0.00	0.00	1.62	0.21	0.00
58	चित तूरपुझा	बृहत/ईआरए	0.00	0.00	0.00	8.37	6.99	0.45
	कुल		0.00	0.00	0.00	24.89	14.88	3.38
	मध्यप्रदेश							
59	इंदिरा सागर यूनिट II (फेज I एवं II)	बृहत	0.00	17.99	0.00	51.67	47.58	0.00
	इंदिरा सागर फेज III	बृहत	0.00	0.00	0.00	112.75	65.72	0.00
	इंदिरा सागर यूनिट IV	बृहत	0.00	0.00	0.00	29.46	16.65	0.00
	इंदिरा सागर यूनिट V	बृहत	0.00	0.00	47.19	0.00	206.82	0.00
	बाणसागर यूनिट-II	Maj	0.00	33.42	0.00	206.82	286.73	0.00
60	सिंध फेज II	बृहत	39.15	39.29	0.00	157.47	129.08	151.31
61	माही	बृहत	31.00	0.00	0.00	43.40	22.85	0.00
62	बरियारपुर एलबीसी	बृहत	8.26	1.18	0.00	33.34	22.38	0.00
63	बावनथाडी	बृहत	2.97	0.00	0.00	14.65	0.00	0.00
64	महान	बृहत	107.65	0.00	0.00	101.96	1.00	0.00
65	ओमकारेश्वरफेज - I	बृहत	0.00	0.00	0.00	26.59	7.00	121.24
	ओमकारेश्वरफेज-II	बृहत	0.00	12.07	0.00	21.74	23.49	49.28
	ओमकारेश्वरफेज-III	बृहत	47.79	15.00	0.00	62.30	31.65	14.03
	ओमकारेश्वरफेज-IV	बृहत	0.00	0.00	48.82	0.00	0.00	65.55
66	बारगी डाइवर्जन फेज - I	बृहत	0.00	0.00	0.00	2.11	5.90	4.15
	बारगी डाइवर्जन फेज -II	बृहत	0.00	0.00	0.00	6.15	9.56	43.27
	बारगी डाइवर्जन फेज -III	बृहत	0.00	15.08	0.00	51.52	21.13	0.00
	बारगी डाइवर्जन फेज-IV	बृहत	0.00	11.90	0.00	61.64	91.19	45.81
67	पेंच डाइवर्जन-I	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	ऊपर बेदा	बृहत	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00
69	पुनासा लिफ्ट	बृहत	0.75	0.00	0.00	92.02	0.00	0.00
70	निचली गोई	बृहत	44.42	17.10	0.00	54.67	43.91	40.30
71	जोबट	मध्यम	10.00	0.71	0.00	12.51	0.00	0.00
72	सागर (सागद)	मध्यम	9.00	2.85	0.00	53.72	20.10	0.00
73	सिंहपुर	मध्यम	0.00	14.79	0.00	23.79	97.16	0.00
74	संजय सागर (बह)	मध्यम	10.44	3.02	0.00	28.81	27.11	0.00
75	महुआर	मध्यम	0.00	8.10	0.00	0.00	36.00	56.95
	कुल		613.41	192.50	96.01	1254.79	1213.01	591.89
	महाराष्ट्र							
76	गोसीखुर्द [एनपी]	बृहत	405.00	0.00	0.00	419.70	751.95	0.00
77	वाघुर	बृहत	76.24	37.34	1.70	70.42	124.38	60.57
78	ऊपरी मनार	मध्यम	16.65	0.00	0.00	66.55	15.62	0.00
79	ऊपरी पेन गंगा	बृहत	41.79	26.94	1.59	105.66	72.98	45.96
	बावनथाडी (आईएस)	बृहत	3.83	0.00	0.00	37.76	17.37	17.86

80	निचली दुधना	बृहत	22.65	21.60	1.76	119.36	78.69	67.07
	तिल्‍लारी	बृहत	0.00	0.00	0.00	31.23	15.61	0.00
81	वर्ना	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	पुनाद	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	निचली वर्धा	बृहत	0.00	16.88	0.00	108.96	67.74	132.76
84	खडकपूर्णा	बृहत	40.14	0.00	0.00	32.46	0.00	0.00
85	डोंगरगांव	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00
86	गुल	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	बेम्‍बला	बृहत	0.00	79.45	2.24	129.49	138.69	0.00
88	उत्‍तरमांड	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	संगोला शाखा नहर	बृहत	0.00	0.00	0.00	20.03	0.00	0.00
90	तराली	बृहत	39.29	18.67	1.09	22.46	71.05	35.62
91	धोम बालकवाडी	बृहत	24.03	24.12	1.12	31.50	36.90	65.99
92	मोरना (गुरेघर)	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	अर्जुन	मध्‍यम	12.83	0.00	0.00	27.54	37.21	0.00
94	निचली पेधी	बृहत	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00	0.00
95	ऊपरी कुंडलिका	मध्‍यम	12.39	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00
96	वांग परियोजना	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	निचली पंजारा	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	38.59	8.98	63.13
98	अरूणा	मध्‍यम	14.18	0.00	22.50	33.58	72.46	0.00
99	कृष्‍णाकोयना लिफ्ट	बृहत	77.18	54.53	0.00	29.85	157.62	50.66
100	नरादवे (महम्‍माडवाड़ी)	मध्‍यम	7.41	0.00	0.00	15.54	19.81	0.00
101	गडनदी	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	67.96	118.13	0.00
102	कुदाली	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64	0.00
	नंदुर मधमेश्‍वरफेज-II	बृहत	46.57	0.00	0.00	52.67	48.34	17.88
	कुल		840.18	279.52	32.00	1609.94	1868.21	557.50
	मणिपुर							
103	खुगा	बृहत	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	थोबल	बृहत	250.00	0.00	67.50	279.62	19.82	110.02
105	दोलाईथाबी बैराज	मध्‍यम	94.40	0.00	15.18	104.92	4.55	19.32
	कुल		375.00	0.00	82.68	384.54	24.37	129.34
	ओडिशा							
106	ऊपरी इंद्रावती (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	11.06	60.25	53.61	49.23
107	सुबर्णरेखा	बृहत	0.00	0.00	0.00	265.88	227.85	0.00
108	रेंगाली	बृहत	0.00	0.00	0.00	70.76	79.41	0.00
109	आनंदपुर बैराज/एकीकृत आनंदपुर	बृहत/ईआरए	14.82	0.00	0.00	97.45	104.56	138.40
110	निचली इंद्रा (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	0.00	62.02	30.51	104.46
111	निचली सुकतेल (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	0.00	4.86	42.77	0.00
112	तेलनगिरी (केबीके)	बृहत	0.00	0.00	0.00	53.54	71.39	0.00
113	आरईटी सिंचाई (केबीके)	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	17.53	32.00	0.00
114	कानुपुर	बृहत	0.00	0.00	0.00	128.30	94.73	0.00
115	छेल्‍लीगाडाबांध	मध्‍यम	0.00	0.00	0.00	8.74	9.39	0.00
116	रूकुरा-जनजातीय	मध्‍यम	0.00	0.00	8.92	10.03	28.64	110.41
	कुल		14.82	0.00	19.98	779.37	774.85	402.50

	पंजाब							
117	शाहपुर कांडी बांध (एन.पी.)	बृहत	0.00	0.00	0.00	14.25	119.85	0.00
118	कांडी नहर विस् तार(फेज.II)	बृहत/ईआरए	0.00	0.00	0.00	4.08	32.02	57.16
119	पहली पटियाला फीडर और कोटला	बृहत/ईआरए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	राजस् थानफीडर नहर का संरेखन	बृहत/ईआरए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सरहिंद फीडर नहर का संरेखन	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		0.00	0.00	0.00	18.33	151.87	57.16
	राजस् थान							
121	आईजीएनपी चरण-II	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	नर्मदा नहर	बृहत	0.00	0.00	9.49	124.04	139.19	0.00
123	गंग नहर का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरए	0.00	0.00	0.00	7.77	45.13	0.00
	कुल		0.00	0.00	9.49	131.81	184.32	0.00
	तेलंगाना							
124	एसआरएसपी का एफएफसी	बृहत/ईआरए	0.00	0.00	0.00	200.46	94.38	0.00
125	एसआरएसपी चरण.II	बृहत/ईआरए	0.00	0.00	0.00	50.08	70.88	0.00
126	रालीवागु	मध् यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	गोल् लावागु	मध् यम	0.00	0.00	0.00	1.10	0.53	0.00
128	मथाडीवागु	मध् यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	पेड्डावागु	मध् यम	0.00	0.00	0.00	0.02	6.77	0.00
130	जे. चोक् काराव एलआईएस	बृहत	0.00	0.00	65.33	529.69	426.71	0.00
131	नीलवाई	मध् यम	0.00	0.00	0.00	11.62	10.84	0.00
132	श्री कोमाराम भीम	मध् यम	0.00	0.00	0.00	13.44	11.33	0.00
133	पालेमवागु	मध् यम	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83	0.00
134	राजीव भीमा एलआईएस	बृहत	0.00	0.00	0.00	82.13	28.56	0.00
	कुल		0.00	0.00	65.33	888.55	657.81	0.00
	त्रिपुरा							
135	मानु	मध् यम	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00
136	गुमती	मध् यम	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00
137	खोवई	मध् यम	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	कुल		0.00	0.00	0.00	9.94	0.00	0.00
	उत् तरप्रदेश							
138	सरयू नहर एनपी	बृहत	67.98	380.75	210.86	224.39	432.56	0.00
139	बाणसागर नहर	बृहत	76.66	0.00	47.92	137.42	134.00	0.00
140	लछुरा बांध का आधुनिकीकरण	बृहत/ईआरए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	हरदोई शाखा प्रणाली के सिंचाई क्षमता में सुधार	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	मध् यगंगा नहर फेज-II	बृहत	0.00	0.00	15.37	90.00	112.50	0.00
143	कचनोदा बांध	बृहत	0.00	0.00	0.00	73.87	0.00	0.00
144	अर्जुन सहायक	बृहत	0.00	214.98	33.85	25.00	234.80	0.00
145	सरदा सहायक के क्षमता की बहाली (एनपी)	बृहत/ईआरएम	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	कुल		144.64	595.73	307.99	625.68	913.86	0.00
	पश्चिम बंगाल							
146	तीस् ताबैराज (एनपी)	बृहत	0.00	0.00	0.00	72.76	29.36	0.00
147	तटको	मध् यम	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
148	पतलोई	मध् यम	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
149	सुबर्णरेखा बैराज ++	बृहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74.01**	**29.36**	**0.00**
	कुल योग		**4033.28**	**1926.82**	**1901.67**	**9351.10**	**9214.78**	**5349.81**

II

				अनुलग्नक-III

लोक सभा में दिनांक 03.03.2016 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (ख) और (घ एवं ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईबीएफएमपी के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता</u>

क्र.सं.	राज्य	(राशि करोड़ रूपए में)		
		2012-13	2013-14	2014-15
		अनुदान		
1	आंध्र प्रदेश	0.0000	0.0000	0.0000
2	अरुणाचल प्रदेश	54.6650	60.0000	14.7225
3	असम	414.0410	639.0314	465.9990
4	बिहार	9.7200	28.3500	70.8642
5	छत्तीसगढ़	157.2650	205.1305	
6	गोवा	8.0000	0.0000	
7	गुजरात	1285.9340	607.5720	1033.9380
8	हरियाणा	0.0000	0.0000	
9	हिमाचल प्रदेश	48.5190	5.4000	27.0000
10	जम्मू-कश्मीर	167.9470	122.1246	14.2114
11	झारखंड	568.9860	0.0000	34.9832
12	कर्नाटक	368.9570	303.5288	150.8200
13	केरल	0.0000	0.0000	
14	मध्य प्रदेश	963.2170	914.4081	133.5100
15	महाराष्ट्र	1638.8850	279.5225	32.0000
16	मणिपुर	375.0000	39.5900	82.6800
17	मेघालय	59.8640	78.6370	
18	मिजोरम	0.0000	0	
19	नगालैंड	76.9910	55.5198	50.6108
20	उड़ीसा	14.8180	0.0000	19.9800
21	पंजाब	0.0000	0.0000	
22	राजस्थान	0.0000	0.0000	9.4900
23	सिक्किम	0.0000	4.5000	
24	तेलंगाना			65.3280
25	त्रिपुरा	17.7500	0.0000	
26	तमिलनाडु	0.0000	0.0000	
27	उत्तर प्रदेश	144.6380	595.7250	307.9905
28	उत्तराखंड	148.8010	94.0185	96.2033
29	पश्चिम बंगाल	0.0000	0.0000	
कुल		6523.9980	4033.0582	2610.3309